

कार्यालय उप निदेशक एवं पदेन प्रभारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर।

क्रमांक :

दिनांक :


निविदा सूचना

बाल अधिकारिता विभाग के अधीन जिला बाल संरक्षण ईकाई, अजमेर द्वारा 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिये संचालित शिशु गृह, लोहागल, अजमेर के लिये निम्नलिखित कार्य हेतु जॉब बैसिस पर सेवार्य प्रदान करने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता ऐजेंसियों/सैल्फ हैल्प ग्रुप से वर्ष 2016-17 के लिये सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	गृह का नाम जहां कार्य की आवश्यकता है	जॉब बैसिस कार्य की प्रवृत्ति	अनुमानित व्यय (वार्षिक)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1	शिशु गृह, लोहागल, अजमेर	कोऑर्डिनेटर कम मैनेजर सामाजिक कार्यकर्ता कम चाईल्डहुड ऐजुकैटर नर्स आया चौकीदार	5.78 लाख	11,600/-	200/-	23.08.16 3.00 PM.	24.08.16 1.00 PM.	24.08.16 3.00 PM.

शर्त:-

1. निविदाओं में दी जाने वाली दरें 28.02.2017 तक के लिए मान्य रहेगी तथा आपसी सहमति से समयावधि बढ़ायी जा सकती है।
2. एक बार जमा कराया निविदा शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
3. निविदा के संबंध में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण को विभाग की वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in ; या <http://sppp.raj.nic.in> से देखा जा सकता है एवं डाउनलोड किया जा सकता है एवं किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।




उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

क्रमांक :
प्रतिलिपि :-

20982-84

दिनांक : 27-07-16

1. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना एक प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्र जिसकी प्रसार संख्या पचास हजार प्रतियों से अधिक हो एवं एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार प्रकाशित करावे।
2. रनालिस्ट कम प्रोग्रामर महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार विभागीय वेबसाइट एवं sppp पोर्टल पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे।
3. नोटिस बोर्ड, कार्या.हाजा / संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर / जिला परिषद / नगर निगम, अजमेर / अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।



उप-निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर



परिशिष्ट-1

कार्यालय उप निदेशक एवं पदेन प्रभारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर।

निविदा प्रपत्र

विषय :- बाल अधिकारिता विभाग, अजमेर के अधीन संचालित शिशु गृह में कौऑर्डिनेटर/सामाजिक कार्यकर्ता/नर्स/आया/चौकीदार का कार्य करवाने हेतु।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम व डाक का पूरा पता
.....
.....
.....
..... दूरभाष नम्बर मोबाईल नम्बर
2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक
3. निविदा शुल्क की राशि रु: 200/- रसीद संख्या दिनांक से जमा कराई गई।
4. धरोहर राशि हेतु उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में जारी बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक राशि रु..... सलंगन है।
5. सेवा प्रदाय करने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन नम्बर एवं दिनांक वैधता अवधि (प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सलंगन करे)
6. आयकर विभाग द्वारा जारी फर्म का PAN NO.
7. सर्विस टेक्स पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या..... पंजीयन कार्यालय का विवरण.....
.....
8. पी.एफ विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
9. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी ई.एस.आई के रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
- 10 कार्यानुभव का विवरण
(प्रमाण पत्रों की प्रति सलंगन करे)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अवधि

--	--	--

11. कार्य विवरणानुसार सेवा प्रदाय करने हेतु दरे निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	जॉब बेसिस पर कार्य का विवरण	सेवा की मात्रा एवं जॉब बेसिस का औचित्य	बोली वाता द्वारा प्रदत्त दरे समस्त करें सहित प्रतिमाह
6	कॉऑर्डिनेटर कम मैनेजर	परिशिष्ट-4 एवं 5 के अनुसार	
7	सामाजिक कार्यकर्ता कम चाइल्डहुड ऐजुकैटर	परिशिष्ट-4 एवं 5 के अनुसार	
8	नर्स	परिशिष्ट-4 एवं 5 के अनुसार	
9	आया	परिशिष्ट-4 एवं 5 के अनुसार	
10	चौकीदार	परिशिष्ट-4 एवं 5 के अनुसार	


नोट:- श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा शिशु गृह, अजमेर में उपलब्ध करवाये गये कार्मिक(श्रमिकों) को अनिवार्य रूप से ठेकेदार को ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुये दरे देवे। यदि निविदादाता द्वारा अपनी दरो में न्यूनतम मजदूरी से कम दरो के प्रस्ताव दिये जाते है तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दरे जॉब बेसिस के आधार पर प्रतिमाह प्रस्तुत करें ना कि श्रमिकों के आधार पर।

12. उपर्युक्त अंकित दरे 28.02.2017 तक के लिये मान्य है। समयावधि में वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।

13. निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..... जो कि उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर, के द्वारा जारी की गयी है, में वर्णित सभी शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलग्न पृष्ठ में दी गयी है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता
संस्था/फर्म/एजेन्सी की सील



परिशिष्ट-2

धोषणा-पत्र

मैं/हम यह धोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्तें नहीं लगायी है यदि कहीं अंकित कर दी गयी है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या दिनांक है। यदि यह धोषणा गलत पायी जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गयी तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम एवं पता


:: निविदा की शर्तें ::

1. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिये। लिफाफे पर जिस कार्य हेतु निविदा दी जाती है उसका नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिये। निविदा कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी।
2. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति तिथि से 28.02.2017 तक के लिए मान्य होगी जिसे सरकार द्वारा तीन माह बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए अनुबंधित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है व दोनो पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि तीन माह और बढ़ायी जा सकती है।
3. निविदादाता / संस्था / फर्म / एजेन्सी को पूर्व में राजकीय कार्यालय अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियों निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के कार्यालय में निविदा के साथ जमा करानी होगी। निविदा के साथ संलग्न चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि (एस.डी) में समायोजित कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की धरोहर राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा अव्यस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। कर्मकारों को साप्ताहिक अवकाश देन का दायित्व ठेकेदार का होगा। किसी भी कर्मकार के अवकाश पर रहने या राजकीय अवकाश के दिनों में अपेक्षित संख्या में कर्मकारों की सेवा प्रदाय करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा, अर्थात् माह के समस्त दिनों में कर्मकारों की सेवा प्रदान करनी होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दर से भुगतान देय नहीं होगा। कार्यरत कर्मकार से गृह प्रबन्धन को कोई शिकायत होने पर ठेकेदार को 24 घण्टे के भीतर उसके स्थान पर वैकल्पिक कर्मकार उपलब्ध कराना होगा।
6. किसी भी स्तर पर निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को होगा।
7. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटी पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार कय समिति को होगा।
8. न्यूनतम दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. निविदादाता का श्रम विभाग से मानव श्रम आपूर्ति करने का पंजीयन करवाना आवश्यक है साथ ही ई.एस.आई. व पी.एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। निविदादाता द्वारा यदि सर्विस टैक्स की मांग की जाती है तो उसका सर्विस टैक्स के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाणपत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. सेवा प्रदाय कर्ता को जॉब बेसिस ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सब्लेट नहीं करेगा।
11. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।

- 15
12. ठेके के संबंध में अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। शर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
 13. ठेकेदार के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
 14. सेवा प्रदाय कर्ता को अनुबन्ध के साथ उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
 15. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा ठेके से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु सेवा प्रदाय कर्ता को ठेका स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हों। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड दों क्लॉक संबंधित गृह के अधीक्षक, विशेषज्ञ दस्तक ग्रहण ऐजेंसी, अजमेर एवं उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के सम्पर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 16. सफल निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्यावधि ठेके की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
 17. कार्य की आवश्यकतानुसार ठेकेदार से जॉब बेसिस पर कार्य को संतोषजनक सम्पादित करवाने का संबंधित अधीक्षक को पूर्ण अधिकार होगा।
 18. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध कराये जायेंगे। यदि किसी समय ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर एवं जॉब कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शारित के रूप में बिल रो काटी जायेगी।
 19. ठेकेदार को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाएँ आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदाय कर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व ठेकेदार का होगा पालना नहीं करने की स्थिति में उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह ठेकेदार स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को अपने कर्मकारों के कार्यदिवस, कार्य के लिए धण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित

- रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
21. निविदा अनुमोदन होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक्स/नगद/राष्ट्रीय बचत पत्र (जो कि निविदादाता के नाम से कथ किये गये हो एवं उप निदेशक के हक में समर्पण मूल्य में प्लेज करा करा प्रस्तुत किये हो) प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
 22. ठेकेदार द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहे बाल अधिकारिता विभाग से किसी भी कारण देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। ठेकेदार जिस दिन व समय पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा वह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा
 23. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में ठेकेदार को स्वीकृत ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को होगा।
 24. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा नियोजित श्रमिक की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिये सरकार या बाल अधिकारिता विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
 25. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें बाल अधिकारिता विभाग प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो बाल अधिकारिता विभाग प्रशासन पर पड़ने वाला भार ठेकेदार से वसूला जाएगा।
 26. यदि ठेकेदार एवं कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। बाल अधिकारिता विभाग के प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा।
 27. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बाल अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम होगा व ठेकेदार को मानना होगा।
 28. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही अजमेर स्थित न्यायालय में होगी।
 29. सेवा प्रदाय कर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा गृह में आवासित शिशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखा जाना अनिवार्य होगा।
 30. बालिका गृह के लिये महिला कर्मकार ही उपलब्ध कराने होंगे, जब तक कि उससे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पुरुष कर्मकार नहीं मांगे जायें।
 31. शिशु गृह में कॉओर्डिनेटर, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स एवं आया के कार्य हेतु केवल महिला कर्मकार ही स्वीकार की जायेंगी। उक्त गृह में उक्त सेवाओं के लिये किसी भी सूरत में पुरुष कर्मकार स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 32. उक्त गृह के लिये वांछित सेवाओं के कर्तव्य एवं न्यूनतम अर्हताये परिशिष्ट-4 एवं कार्य समय परिशिष्ट-5 के अनुसार होगा।
 33. कर्मकारों को स्वयं के खर्च पर कार्य हेतु उपस्थित होना होगा। सरकार द्वारा उसे इसके लिये किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

34. उक्त गृहों में आवासित शिशुओं के लिये भोजन गृह परिसर में निर्धारित स्थान पर ही आवासित शिशुओं की संख्या के आधार पर परिशिष्ट-4 पर अंकित कार्य विवरण अनुसार भोजन, नाश्ता आदि बनाने की व्यवस्था की जायेगी। भोजन बनाने से संबंधित निर्धारित मिल्क पाउडर, खादय सामग्री, ईंधन व बरतन आदि विभाग का कार्मिक प्रतिदिन उपलब्ध करायेगा।
35. सफाई कार्य हेतु सामग्री यथा झाडू, पोछा, टॉयलेट क्लीनर आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
36. शिशु गृह की स्वीकृत संख्या 10 है तथा परिशिष्ट-4 में दिये गये कार्य उक्त गृहों में प्रतिदिन प्रवेशित शिशुओं के लिये करने होंगे। प्रतिदिन प्रवेशित शिशुओं की संख्या स्वीकृत संख्या से कम या अधिक हो सकती है।
37. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा प्रतिमाह बिल संबंधित गृह अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा तथा विभाग द्वारा सेवाप्रदायकर्ता को विभाग द्वारा चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा एवं सेवाप्रदायकर्ता की ओर से अपने कर्मकारों को भी उनके सेवाशुल्क का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही करना होगा।
38. चूंकि शिशु गृह विधि के तहत स्थापित क्षति-संवेदनशील संस्था हैं अतः सेवाप्रदायकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकार की किसी भी लापरवाही अथवा आवांछनीय व्यवहार के कारण संस्था अथवा संस्था में रहने वाले शिशुओं को होने वाली किसी भी हानि हेतु सेवा प्रदायकर्ता जिम्मेदार होगा, जिसके हेतु नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।


उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 38 तक को भली भॉति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों को पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मैरे /हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र एवं धोषणा पत्र परिशिष्ट "1" एवं परिशिष्ट "2" सलग्न है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर निविदादाता
एवं नाम

प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के कर्तव्यों एवं न्यूनतम अर्हताओं का संक्षिप्त विवरण :

अ. आया : साक्षर।

1. शिशु गृह के समस्त शिशुओं का लालन-पालन व देखभाल करना जैसे शिशुओं को नहलाना, तैयार करना, कपड़े धोना, दूध पिलाना, बच्चों का भोजन पका कर खिलाना, बिस्तर बिछाना आदि।
2. शिशुओं के मल-मूत्र की सफाई करना।
3. शिशु गृह परिसर की साफ-सफाई व देखरेख करना।
4. शिशुओं के कपड़ों, खिलौनों, जूते-चप्पलों आदि की समुचित देखभाल, रख-रखाव व सुरक्षा करना।
5. शिशुओं को अस्पताल आदि ले जाने व लाने में सहयोग करना।
6. शिशु गृह क शिशुओं के अस्पताल में भर्ती होने पर उनकी देखभाल करना व उनकी व सामान की सुरक्षा करना।
7. शिशु गृह के समस्त शिशुओं की सुरक्षा एवं स्वच्छता का ध्यान रखना।
8. शिशुओं को अस्पताल ले जाते समय मार्ग में सुरक्षित रखना।
9. शिशुओं के भोजन वितरण व उन्हें खिलाने व मनोरंजन में सहयोग करना।
10. शिशुओं की सुरक्षा व बचाव संबंधी व्यवस्थाओं की देखभाल करना।

ब. चौकीदार : साक्षर।

1. गृह में आवासित शिशुओं एवं परिसर की सुरक्षा का कार्य करना।

स. कौऑर्डिनेटर कम मैनेजर :- स्नातक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव।


1. अनाथ, परित्यक्त, अम्यर्पित बच्चों का SAA में प्रवेश तथा पंजीकरण करना।
2. प्रवेशित बच्चे का प्रवेश संबंधी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करना।
3. सी.डब्ल्यू.सी. के आदेश पश्चात् बच्चे के पंजीकरण की रिपोर्ट डी.सी.पी.यू. एवं सारा को देना।
4. प्रवेशित बच्चों का कम्प्यूटर के माध्यम से ऑन लाईन डाटाबेस संधारण एवं कम्प्यूटर से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
5. प्रवेशित बच्चों के संबंध में बाल कल्याण समिति को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।
6. दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता का पंजीकरण करना।
7. बच्चे का त्यागन/समर्पित करने वाले जन्मदाता माता-पिता/अविवाहित माता को उचित सलाह एवं पुनर्वास देना।
8. प्रवेशित बच्चों के दत्तक ग्रहण या नियोजन के लिये न्यायालय प्रक्रियाओं का फोलोअप करना।
9. प्रवेशित बच्चे, जन्म देने वाले माता-पिता तथा दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट का संधारण करना।
10. प्रवेशित बच्चों से संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट डी.सी.पी.यू. एवं सारा को भेजना।

द. सामाजिक कार्यकर्ता कम चाईलडहुड एजुकैटर :- स्नातक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यानुभव।

1. प्रवेशित बच्चों की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा शारीरिक जांच रिपोर्ट तैयार करना।
2. प्रवेशित बच्चों से संबंधित समस्त रिकॉर्ड को कम्प्यूटर में संधारिता करना।
3. सक्षम प्राधिकारी के पास बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराना।
4. दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता को दत्तक ग्रहण से पूर्व एवं पश्चात् परामर्श उपलब्ध कराना।
5. दत्तक ग्रहण में दिये गये बच्चों का फोलोअप करना।
6. आवेदक संभावित माता-पिता की गृह अध्ययन जांच कर रिपोर्ट तैयार करना।

य. नर्स :- ए.एन.एम./जी.एन.एम.।


1. डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रवेशित बच्चों के चिकित्सकीय उपचार से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
2. बच्चों की नियमित चिकित्सा जांच कराना तथा उससे संबंधित समस्त रिकॉर्ड का संधारण करना।
3. प्रवेशित बच्चों की चिकित्सकीय देखभाल एवं आवश्यकत औषधियों की व्यवस्था व रिकॉर्ड संधारण करना।


उप-निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

परिशिष्ट-5

राजकीय शिशु गृह के आवासित शिशुओं के लिये मोजन तैयार करने/सुरक्षा व्यवस्था/देखभाल तथा परिसर आदि में सफाई आदि के कार्य विवरण हेतु समय सारणी

सेवा का नाम	इयूटी समय
कॉऑर्डिनेटर कम मैनेजर	10.00 AM to 06.00PM
सामाजिक कार्यकर्ता कम चाईल्डहुड ऐजुकैटर	10.00 AM to 06.00PM
नर्स	08.00 AM to 04.00PM and On call In Emergency
आया (प्रतिशिप्ट में दो मानव श्रम की आवश्यकता होगी)	06.00 AM to 02.00PM 02.00PM to 10.00PM 10.00PM to 06.00 AM
चौकीदार	कार्य की आवश्यकतानुसार 8 घण्टे


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर